



समावेश

एक पहल...

अंक 9, अगस्त-अक्टूबर 2012

समुदाय आधारित पुनर्वास
कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित



निम्बाहेड़ा में नेत्र जांच शिविर का आयोजन

कट्स संस्था द्वारा साईटसेवर्स के सहयोग से चलाए जा रहे समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पिछले तीन महीनों में निम्बाहेड़ा ब्लॉक के बच्चों का नेत्र परीक्षण किया गया और 515 बच्चों को चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया।

लाफार्ज सीमेन्ट, शिक्षा विभाग और विजन स्प्रींग इण्डिया के सहयोग से बच्चों का नेत्र परीक्षण किया गया। अगस्त और सितम्बर 2012 में निम्बाहेड़ा ब्लॉक के 24 ग्राम पंचायत के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में जाने वाले सभी विद्यार्थियों एवं विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान ऐसे बच्चों की पहचान की गई जिनको देखने में समस्या आती है तथा चश्में की जरूरत है।



विजन स्प्रींग इण्डिया व कट्स मानव विकास केन्द्र की टीम द्वारा निम्बाहेड़ा के ग्रामीण इलाकों में जाकर नेत्र जांच की गई तथा बच्चों के चश्में के नम्बर निकाले गये। उसके बाद चश्में बनाने का कार्य भी विजन स्प्रींग इण्डिया द्वारा किया गया और सितम्बर व अक्टूबर माह में इन चश्मों को बच्चों को निःशुल्क वितरित किया गया। शिक्षा विभाग ने इस कार्य में पूर्ण सहभागिता निभाई। नोडल अधिकारियों ने अपने विद्यालयों में कैम्प लगाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया और नेत्र परीक्षण के दौरान व्यवस्था बनाये रखने में मदद की साथ ही बच्चों को नेत्र जांच हेतु भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चश्मों के वितरण में भी अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

उस पूरे कार्यक्रम में 2383 बच्चों की जांच की गई जिसमें से 1538 बच्चों को चश्मों की जरूरत पाई गई एवं 72 बच्चों की आंखों में खराबी के कारण उनके ईलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया।

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकों,

इस त्रैमास में मुख्यतः बच्चों की नेत्र जांच करवाकर उन्हें नेत्र स्वास्थ्य का महत्व समझाया ताकि वे भविष्य में आंखों से जुड़ी बीमारियों से बच सकें एवं उन्हें निःशुल्क चश्मों का वितरण किया। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी संस्था की गतिविधियों से परिचित करवाया गया ताकि उनका सहयोग आगे भी मिलता रहे।

प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकांश लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। समुदाय को इस सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जानकारी प्रदान की गयी है। व्हाईट केन डे दिवस मनाते हुये समुदाय को व्हाईट केन की उपयोगिता बतायी।

आपको यह अंक कैसा लगा इस अंक के बारे में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं.....

'सम्पादक मंडल'

जिला स्तरीय कार्यशाला

23 अगस्त 2012 को मीरा होटल में कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय सरकारी अधिकारी और सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं के 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



कार्यशाला में विशेषयोग्यजनों को दिलायी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में विभिन्न सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें मुख्यतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, बैंक आदि हैं। कार्यशाला में इन विभागों से जुड़े अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में संस्था व साईटसेवर्स के सहयोग से चलाई जाने वाली समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत की गई गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले सहयोग के लिये आभार प्रस्तुत करते हुये बताया कि किस तरह उनके सहयोग से विशेषयोग्यजन के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। कार्यशाला में उपस्थित सहभागियों ने कार्य की सराहना करते हुये आगे भी अपना सहयोग प्रदान करने का आश्वासन प्रदान किया।



व्हाइट केन दिवस मनाया

15 अक्टूबर को सम्पूर्ण विश्व में दृष्टिबाधितों के लिये व्हाइट केन डे का आयोजन किया जाता है। इस दिन व्हाइट केन का महत्व बताते हुये इसकी उपयोगिता बताई जाती है।

कट्स मानव विकास केन्द्र ने भी इस दिवस को चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा के 24 दृष्टिबाधितों के साथ चित्तौड़गढ़ में मनाया। सहभागी व्हाइट केन का उपयोग करते हुये रोडवेज बस स्टैंड से चलना प्रारंभ कर मुख्य मार्गों से होते हुये सिटी के मध्य स्थित पब्लिक पार्क में पहुंचे। इस दौरान उन्हें बताया गया कि चलते समय उन्हें व्हाइट केन का प्रयोग किस तरह करना है साथ ही समुदाय को भी इसकी महत्ता बताई।

पब्लिक पार्क पहुंच कर सहभागियों व समुदाय के साथ गोष्ठी कर जानकारी प्रदान की गई। सभी सहभागियों ने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया व कार्यक्रम की सराहना की।

एक नयी जिन्दगी की शुरुआत की

निम्बाहेड़ा शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पचायंत उंखलिया के गांव फाचर सौलकी में अस्थि विकलांग घनश्याम दरोगा निवासरत है। कार्यकर्ता से मिलने के पूर्व घनश्याम गांव में बेरोजगारी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। घनश्याम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस तरह का जीवन जीते उसे अपना जीवन बदतर लगने लगा था। उसे न ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा था और न ही वह विशेषयोग्यजन के अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी रखता था।

उसे अपने जीवन में एक आशा की किरण दिखाई दी जब वह समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता से सम्पर्क में आया। परियोजना क्षेत्र के गांव फाचर सौलकी में बेस लाईन सर्वे के दौरान 12 दिसम्बर 2010 को कार्यकर्ता की मुलाकात गांव के एक व्यक्ति से हुई जिसने कार्यकर्ता को गांव के 15 विशेषयोग्यजन की जानकारी दी। इसी दौरान कार्यकर्ता की मुलाकात घनश्याम दरोगा से हुई।

घनश्याम की सक्रियता के कारण वह कार्यकर्ता से बराबर सम्पर्क में रहा। परियोजना के अन्तर्गत मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा था तब घनश्याम ने भी एक जागरूक नागरिक की तरह उत्साहपूर्वक उसमें भाग लिया। उसके जोशीले और सक्रिय स्वभाव को देखते हुए 23 अक्टूबर 2011 को विशेषयोग्यजनों ने सर्वसम्मति से उसे मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान में सचिव पद पर नियुक्त किया।

अब घनश्याम पहले से और सक्रिय हो गया एवं नियमित रूप से संस्थान की बैठकों में भाग लेने लगा। फलस्वरूप उसे विशेषयोग्यजनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता चला। अपनी बेरोजगारी से निजात पाने एवं अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उसने कार्यकर्ता से विश्वास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन किया।

जब बहुत समय तक विश्वास योजना में किये गये आवेदन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली तो कार्यकर्ता एवं घनश्याम ने

दिनांक 5 जुलाई 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में सम्पर्क किया। वहां से उन्हें जानकारी मिली कि घनश्याम का विश्वास योजना का फॉर्म सम्बन्धित बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक निम्बाहेड़ा में स्वीकृत कर पहुंचा दिया गया है। कार्यकर्ता व घनश्याम निम्बाहेड़ा जाकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्धक से मिले। घनश्याम की सक्रियता व जागरूकता के कारण उसे दिनांक 20 जुलाई 2012 को एक लाख रुपये का चेक प्राप्त हुआ जिसे पाकर वह काफी खुश हुआ। उस लोन से उसने अपने गांव में किराना की दुकान खोली जिससे वह वर्तमान में 250 से 350 रु तक प्रतिदिन कमाता है।

अब वह भविष्य के सुनहरे सपने पिरोता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। कार्यकर्ता से मिलने व मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान के सहयोग से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वह विशेषयोग्यजन की मदद हेतु हमेशा तैयार रहता है और उन्हें अधिक से अधिक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बताने का प्रयास करता है।



राजस्थान राज्य में संचालित विकास योजनाएं



प्रायः यह देखने में आया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा शहरी व ग्रामीण जन की बेहतरी के लिए कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। परंतु समस्या यह है कि इन योजनाओं के बारे में आमजन को पता नहीं है और यदि पता भी है तो पूर्ण जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभ योजनाओं जिनमें विशेषतः छात्र-छात्राओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। जो निम्न है—

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित वर्ग	पात्रता व सुविधा	आवेदन कहाँ करें
1	विकलांग छात्रवृत्ति	निःशक्त छात्र/छात्रा जो राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हो	- कक्षा 1 से 4 तक 40/- रुपये प्रतिमाह - कक्षा 5 से 8 तक 50/- रुपये प्रतिमाह - कक्षा 9 से 10 एवं पीयूसी स्तर तक 150/- रुपये, छात्रावासी को 230/- रुपये - स्नातक स्तर पर 220/- रुपये एवं छात्रावासी को 360/- रुपये तथा - स्नातकोत्तर तक 330/- रुपये एवं छात्रावासी को 750/- रुपये प्रतिमाह - अधिकतम 10 माह के लिये छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2	छात्रवृत्ति	कोढ़ पीड़ित/निःशक्त माता पिता के अध्ययनरत बच्चे	- ऐसे माता पिता जो दोनों कोढ़ पीड़ित हो, दोनों निःशक्त हो, दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा दुसरा कुष्ठ रोगी/निःशक्त हो अथवा - माता पिता में से किसी एक में 80 प्रतिशत निःशक्तता हो। - छात्र/छात्रा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो - माता पिता की वार्षिक आय 40000/- रुपये से अधिक नहीं हो।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
3	विश्वास योजना	- ऐसे निःशक्तजन जिनकी आयु 18 साल से अधिक है। - मसिक आय 1500/-रुपये से कम हो एवं - विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो।	- स्वरोजगार एवं व्यवसायिक गतिविधियों हेतु अधिकतम एक लाख रुपये तक का सहकारी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण - विभाग द्वारा ऋण राशि का 30 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4	अंग, उपकरण व मोबाईल कियोस्क सहायता	- ऐसे निःशक्तजन जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। - परिवार की वार्षिक आय 25000/- रुपये से अधिक न हो	- श्रवण यंत्र, ट्रायसाइकिल, वैशाखी उपलब्ध होगी। - जो दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा दोनों आंख से निःशक्त हो तथा जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत से अधिक हो को मोबाईल कियोस्क दिये जाने का प्रावधान है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
5	आस्था योजना	ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक निःशक्त व्यक्ति हो	- एक परिवार में दो या दो से अधिक निःशक्त होने पर। - परिवार की वार्षिक आय एक लाख बीस हजार से अधिक नहीं हो - तो विभाग द्वारा आस्था कार्ड जारी किया जायेगा जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. चयनित परिवारों की तरह समस्त सुविधायें प्राप्त होगी।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
6	विवाह योजना	- जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो - लड़के की उम्र 21 व लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो - परिवार की वार्षिक आय पांच लाख से अधिक न हो	विवाह हेतु 25000/- रुपये की आर्थिक सहायता विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
7	पेंशन	ऐसे निःशक्तजन जो राज्य सरकार से पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हों	स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये पेंशन समर्पित करने पर 15000/- रुपये एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8	निःशक्त पेंशन योजना	- जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो - आठ वर्ष से अधिक आयु हो।	सामाजिक सुरक्षा के तहत निःशक्त पेंशन पाने का अधिकार है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तहसील कार्यालय अथवा पंचायत समिति।

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान की मुख्य उपलब्धियाँ

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष मोहन लाल मेघवाल ने बताया कि बस्सी में एक मिनी कार्यालय खोला गया है ताकि वहाँ आस पास रहने वाले निःशक्तजनों को छोटे छोटे काम के लिये चित्तौड़गढ़ न आना पड़े। बस्सी में स्थित इस कार्यालय में बस्सी निवासी व मेवाड़ विकलांग सेवा संस्था के कोषाध्यक्ष प्रभुलाल चमार इस कार्यालय का संचालन कर रहे हैं। इस कार्यालय पर सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन तथा निःशक्तजन से जुड़ी सलाह व सहायता उपलब्ध होती है। निःशक्तजन इस कार्यालय पर आकर अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर निदान प्राप्त कर सकते हैं।

संस्था द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अभी तक 97 सदस्यों ने सदस्यता प्राप्त की है। दानदाताओं से वर्तमान में 20,000 का फंड एकत्र किया जा चुका है जिसे विकलांगजनों को रोजगार से जोड़ने, दृष्टिहीन का आर्थिक पुनर्वास करने एवं संस्था की बैठकों के खर्च हेतु व्यय किया जा रहा है।

संस्था के आगामी कार्ययोजना में अधिक से अधिक लोगों को संस्था में सदस्यता प्रदान कर उन्हें सुविधायें दिलवाने के कार्य पर जोर दिया जायेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के समस्त ब्लॉकों में संस्था की कार्यकारिणी गठन कर संस्था के कार्यों को सुलभ बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान



जिला स्तरीय कार्यशाला में
उपस्थित अधिकारीगण



दृष्टिबाधितों के साथ
मनाया व्हाईट केन दिवस



दृष्टिबाधित छात्र ट्रेलर फ्रेम
के माध्यम से पढ़ते हुये



शैक्षणिक भ्रमण के
दौरान बच्चों से किया सम्पर्क



मोटियोबिन्द की जांच
करते नेत्र चिकित्सक



ग्राम पंचायतों पर लगवाई सुझाव पेटी

मीडिया



Sightsavers
North West India Area Office
C-39, Panchsheel Colony, Ajmer Road Jaipur-302006
Ph: +91.141.2812081; Fx: +91.141.2812081-27



कट्स मानव विकास केन्द्र
सेंटी (रावला), चित्तौड़गढ़ 312025, फोन : (01472) : 241472 फैक्स : 247715
E-mail: chd@cuts.org, Website: www.cuts-international.org